उत्तर प्रदेश शासन

गृह (पुलिस) अनुभाग–9

संख्या–4092(1)/छः–पु0–9–19–31(103)/2010टी0सी0

लखनऊः दिनांकः 18 दिसम्बर, 2019

अधिसूचना

(शक्ति)

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम संख्या–02 सन् 1974) की धारा–21 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल महोदय, हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट की परीक्षाओं के समस्त केन्द्र अधीक्षकों को जैसा कि इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 (संयुक्त प्रान्त अधिनियम सं0–2 सन्,1921) की धारा–2 के खण्ड (छ) में परिभाषित है, **दिनांक 18 फरवरी, 2020** को प्रारम्भ होने वाली और **दिनांक 06 मार्च, 2020** को समाप्त होने वाली अवधि तक के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जो विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट के रूप में ज्ञात होंगे, नियुक्त करते हैं और उन्हें उस केन्द्र की सीमा के भीतर, जिसके वे अधीक्षक हैं, किये गये अपराधों के सम्बन्ध में उक्त संहिता के अधीन कार्यपालक मजिस्ट्रेटों को प्रदत्त की जा सकने वाली सभी शक्तियां प्रदान करते हैं।

भगवान स्वरूप

सचिव।

संख्या–4092(A)(1)/छः–पु0–9–2019 तद्दिनांकः

प्रतिलिपि अंग्रेजी अनुवाद की प्रतिलिपि सहित, निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद को अधिसूचना को गजट के आगामी अंक के भाग–4, खण्ड–"ख" में प्रकाशनार्थ प्रेषित। कृपया अधिसूचना की मुद्रित 18000 प्रतियां सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें तथा कृत कार्यवाही से कृपया शासन को भी अवगत करायें।

आज्ञा से

(वीरेन्द्र सिंह)

अनु सचिव।

संख्या–4092(A)(2)/छः–पु0–9–2018 तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) सचिव, माध्यमिक शिक्षा,उत्तर प्रदेश शासन।

(2) पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(3) समस्त मण्डलायुक्त–उत्तर प्रदेश।

(4) समस्त जिला मजिस्ट्रेट–उत्तर प्रदेश।

(5) शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) एवं सभापति, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश, लखनऊ को उनके अर्द्ध शा0पत्र संख्या–मा0शि0प0/केन्द्रस्थापना/डी0ई0/995, दिनांक 16.10.2019 के सन्दर्भ में।

(6) सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे कृपया निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद से सीधे सम्पर्क करके अधिसूचना की अपेक्षित मुद्रित प्रतियां प्राप्त करने का कष्ट करें।

(7) **प्रभारी, गृह नियंत्रण कक्ष को आनलाइन निर्गमन हेतु।**

(8) गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से

(वीरेन्द्र सिंह)

अनु सचिव।

E: Data Police-9 Pramod Rai R O Notification DRAFT 7921